रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112022-239958
CG-DL-E-01112022-239958

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 535]	नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 31, 2022/कार्तिक 9, 1944
No. 535]	NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 31, 2022/KARTIKA 9, 1944

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 31 अक्तूबर, 2022

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022

सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.101.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, धारा 203 और धारा 205 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है,अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) में, विनियम 7 के उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) अनुपालन अधिकारी बोर्ड को यह सत्यापित करते हुए कि दिवाला व्यावसायिक एजेंसी ने उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट उपबपंधों का अनुपालन किया है, बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्ररूप में वार्षिक रूप से एक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।

परन्तु वार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र पर दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के प्रबंध निदेशक द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे।"

3. मूल विनियमों की अनुसूची में, -

(i) खंड 6 में, उपखंड (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) एजेंसी –

(क) अपने व्यावसायिक सदस्यों से, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के अनुसार संबंध-प्रकटन प्राप्त करना सुकर बनाएगी;

(ख) अपने व्यावसायिक सदस्य से प्रकटनों के प्राप्त होने के तीन कार्य दिवस के भीतर उन प्रकटनों को निम्नलिखित प्ररूप में अपनी वैबसाइट पर प्रसारित करेगी:

दिवाला व्यावसायिक द्वारा संबंध का प्रकटन

.............(कारपोरेट ऋणी) की समाधान प्रक्रियाओं का संचालन करने वाले दिवाला व्यावसायिकों और दिवाला व्यावसायिकों द्वारा नियुक्त किए गए अन्य व्यावसायिकों द्वारा प्रकटन

दिवाला व्यावसायिक/ दिवाला व्यावसायिकद्वारा नियोजित अन्य व्यावसायिक	**व्यावसायिक का नाम**	**व्यावसायिक सदस्यता सं.**	**स्थायी खाता संख्यांक**	**निम्नलिखित के साथ संबंध**					
				अंतरिम समाधान व्यावसायिक/ समाधान व्यावसायिक	**अन्य व्यावसायिक (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक/ लेखाकार/ अधिवक्ता/अन्य कोई व्यावसायिक)**	**कारपोरेट ऋणी**	**वित्तीय लेनदार (लेनदारों) का/के नाम**	**अंतरिम वित्त प्रदाता**	**भावी समाधान आवेदक (आवेदकों) का/के नाम**
अंतरिम समाधान व्यावसायिक/ समाधान वम्यावसायिक				लागू नहीं होता					
रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक					लागू नहीं होता				
लेखाकार					लागू नहीं होता		'क'		
अधिवक्ता					लागू नहीं होता				
अन्य कोई व्यावसायिक (व्यवसाय का प्रकार लिखिए)					लागू नहीं होता				

टिप्पण:

(i) जहां कहीं भी एक से अधिक व्यावसायिक, वित्तीय लेनदार, अंतरिम वित्त प्रदाता या भावी समाधान आवेदक हैं वहां यथा-अपेक्षित अतिरिक्त पंक्तियां और स्तंभ अंतःस्थापित किए जाएं ।

(ii) जहां किसी लेखाकार का किसी वित्तीय लेनदार के साथ क प्रकार का संबंध है वहां सुसंगत प्रकोष्ठ 'क' प्रदर्शित करेगा, जैसा कि उपर्युक्त सारणी में उपदर्शित है । कोई व्यक्ति संबंध के ब्यौरे का पता लगाने के लिए 'क' पर क्लिक कर सकेगा ।

(ग) अपने व्यावसायिक सदस्य से इस आशय की पुष्टि की प्राप्ति सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक अन्य व्यावसायिक की नियुक्ति निर्बंधित संबंधों के आधार पर की गई है ।"

(ii) खंड 23क के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण**: व्यावसायिक सदस्य के विरुद्ध उस तारीख से, जिसको उसे यथास्थिति, एजेंसी या बोर्ड द्वारा कारण बताओ सूचना जारी की गई है, यथास्थिति, एजेंसी की अनुशानिक समिति या बोर्ड द्वारा उसका निपटारा किए जाने तक, अनुशासनिक कार्यवाही लंबित समझी जाएगी ।"

(iii) खंड 24 के उपखंड (2) में, मद (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(घ) नीचे दी गई सारणी के अनुसार धनीय शास्ति का अधिरोपण:-

क्रम सं.	**उल्लंघन**	**धनीय शास्ति**
1	संहिता या उसके अधीन बनाए गए विनियमों या एजेंसी की उप-विधियों के अधीन यथापेक्षित या बोर्ड अथवाएजेंसी द्वारा मांगे गए किसी नियतकार्य (असाइनमेंट) से संबंधित प्रकटन, विवरणियां आदि एजेंसी को प्रस्तुत करने में असफल रहता है या अपर्याप्त या गलत प्रकटन, विवरणियां आदि प्रस्तुत करता है ।	न्यूनतम 50,000 रुपए के अधीन रहते हुए, 1,00,000 रुपए या फीस के 25 प्रतिशत तक, इनमें से जो भी उच्चतर हो ।
2	ऐसे असाइनमेंट को स्वीकार करता है जिसमें हितधारकों के साथ हित-संघर्ष है ।	न्यूनतम 1,00,000 रुपए के अधीन रहते हुए, 2,00,000 रुपए या फीस के 25 प्रतिशत तक, इनमें से जो भी उच्चतर हो ।
3	अपने किसी असाइनमेंट से संबंधित अभिलेख समुचित रूप से रखने में असफल रहता है ।	न्यूनतम 50,000 रुपए के अधीन रहते हुए, 1,00,000 रुपए या फीस के 25 प्रतिशत तक, इनमें से जो भी उच्चतर हो ।
4	कोई असाइनमेंट करते समय, किसी दावे (दावों) को कोई उचित कारण दिए बिना नामंजूर करता है या दावे के सत्यापन में सम्यक् तत्परता बरतने में असफल रहता है ।	न्यूनतम 1,00,000 रुपए के अधीन रहते हुए, 2,00,000 रुपए या फीस के 25 प्रतिशत तक, इनमें से जो भी उच्चतर हो ।
5	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है।	न्यूनतम 1,00,000 रुपए के अधीन रहते हुए, 2,00,000 रुपए या फीस के 25 प्रतिशत तक, इनमें से जो भी उच्चतर हो ।
6	अपने कर्तव्य और बाध्यताएं बाहरी स्रोत से पूरी कराता है ।	न्यूनतम 1,00,000 रुपए के अधीन रहते हुए, 2,00,000 रुपए या फीस के 25 प्रतिशत तक, इनमें से जो भी उच्चतर हो ।
7	मूल्यांकन कराने के लिए संहिता या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन, जहां कहीं भी आवश्यक हो, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक नियुक्त करने में असफल रहता है ।	न्यूनतम 1,00,000 रुपए के अधीन रहते हुए, 2,00,000 रुपए या फीस के 25 प्रतिशत तक, इनमें से जो भी उच्चतर हो ।
8	मांगी गई जानकारी प्रदत्त करने या एजेंसी, बोर्ड, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी द्वारा ईप्सित जानकारी संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहता है या निरीक्षण या अन्वेषण प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं करता है ।	न्यूनतम 50,000 रुपए के अधीन रहते हुए, 1,00,000 रुपए या फीस के 25 प्रतिशत तक, इनमें से जो भी उच्चतर हो ।
9	सुसंगत विनियमों में उपबंधित रीति में सार्वजनिक उद्घोषणा करने में असफल रहता है ।	न्यूनतम 1,00,000 रुपए के अधीन रहते हुए, 2,00,000 रुपए या फीस के 25 प्रतिशत तक, इनमें से जो भी उच्चतर हो ।
10	लेनदारों की बैठकों के संबंध में सूचना देने में असफल रहता है ।	न्यूनतम 50,000 रुपए के अधीन रहते हुए, 1,00,000 रुपए या फीस के 25 प्रतिशत तक, इनमें से जो भी उच्चतर हो ।
11	अपात्र समाधान आवेदकों से प्राप्त समाधान योजना को नामंजूर	न्यूनतम 1,00,000 रुपए के अधीन रहते हुए, 2,00,000

	करने में असफल रहता है।	रुपए या फीस के 25 प्रतिशत तक, इनमें से जो भी उच्चतर हो।
12	अधिमानी, न्यून-मूल्यांकित, कपटपूर्ण या अतिशय संव्यवहारों की बाबत कार्रवाई करने में असफल रहता है।	न्यूनतम 1,00,000 रुपए के अधीन रहते हुए, 2,00,000 रुपए या फीस के 25 प्रतिशत तक, इनमें से जो भी उच्चतर हो।
13	व्यावसायिकों के साथ अपूर्ण और अनुचित रीति में संविदा या करार करता है।	न्यूनतम 50,000 रुपए के अधीन रहते हुए, 1,00,000 रुपए या फीस के 25 प्रतिशत तक, इनमें से जो भी उच्चतर हो।
14	उप-विधियों या विनियमों के किसी ऐसे उपबंध का उल्लंघन करता है, जिसके लिए किसी विनिर्दिष्ट शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है।	न्यूनतम 50,000 रुपए के अधीन रहते हुए, 1,00,000 रुपए या फीस के 25 प्रतिशत तक, इनमें से जो भी उच्चतर हो।

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./361/2022-23]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 421, तारीख 22 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.001, तारीख 21 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3,खंड 4,सं. 483, तारीख 3 अक्तूबर, 2022 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.100, तारीख 3 अक्तूबर, 2022 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2022 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2022

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Second Amendment) Regulations, 2022

No. IBBI/2022-23/GN/REG101.—In exercise of the powers conferred by sections 196, 203 and 205 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Second Amendment) Regulations, 2022.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), sub-regulation (3) in regulation 7, shall be substituted by following, namely:-

   "(3) The compliance officer shall submit to the Board, a compliance certificate annually in the format issued by the Board, verifying that the insolvency professional agency has complied with the provisions referred to in sub-regulation (1):

Provided that the annual compliance certificate shall also be signed by the managing director of the insolvency professional agency."

3. In the principal regulations, in the Schedule-

   (i) in clause 6, after sub-clause (2), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

   "(3) The Agency shall-

(a) facilitate receipt of relationship disclosures from its professional members in accordance with the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016;

(b) disseminate the disclosures on its website in the following format, within three working days of the receipt of the disclosures from its professional member:

DISCLOSURE OF RELATIONSHIP BY AN INSOLVENCY PROFESSIONAL

Disclosures by the insolvency professionals and other professionals appointed by the insolvency professionals conducting resolution processes of …… (name of the corporate debtor)

Insolvency professional / other professional engaged by the insolvency professional	Name of professional	Professional membership number	Permanent account number (PAN)	Relationship with					
				Interim resolution professional /resolution professional	Other professional (registered valuer / accountant / advocate / any other professional)	Corporate debtor	Name of financial creditor (s)	Interim finance provider (s)	Name of prospective resolution applicant(s)
Interim resolution professional / resolution professional				NA					
Registered valuer					NA				
Accountant					NA		A		
Advocate					NA				
Any other professional (write kind of profession)					NA				

Notes:

(i) NA: Not Applicable.

(ii) Additional rows and columns to be inserted, as required, where there are more than one professional, financial creditor, interim finance provider or prospective resolution applicant.

(iii) Where an accountant has relationship of kind A with a financial creditor, relevant cell will display 'A', as indicated in the above table. One may click on 'A' to find details of relationship.

(c) ensure receipt of confirmation from its professional member to the effect that the appointment of every other professional has been made at arm's length relationship."

(ii) after clause 23A, the following explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation.- A disciplinary proceeding shall be considered as pending against the professional member from the date he has been issued a show cause notice by the Agency or the Board, as the case may be, till its disposal by the Disciplinary Committee of the Agency or the Board, as the case may be."

(iii) in clause 24, in sub-clause (2), for item (d), the following shall be substituted, namely:-

"(d) imposition of monetary penalty as per Table below:

Sl. No.	Contravention	Monetary Penalty
1.	Fails to submit disclosures, returns, etc. to Agency or submits inadequate or incorrect disclosures, returns, etc., relating to any assignment, as required under the Code and Regulations made thereunder or bye-laws of the Agency or called upon by the Board or the Agency.	Up to ₹ 1,00,000 or 25% of fee, whichever is higher, subject to a minimum ₹ 50,000.
2.	Accepts an assignment having conflict of interests with the stakeholders.	Up to ₹ 2,00,000 or 25% of fee, whichever is higher, subject to a minimum ₹ 1,00,000.
3.	Fails to maintain records properly relating to any of his assignments.	Up to ₹ 1,00,000 or 25% of fee, whichever is higher, subject to a minimum ₹ 50,000.

4.	Rejects a claim(s) without giving any proper reason while undertaking an assignment or fails to exercise due diligence in claim verification.	Up to ₹ 2,00,000 or 25% of fee, whichever is higher, subject to a minimum ₹ 1,00,000.
5.	Fails to comply with directions issued by Adjudicating Authority or the Appellate Authority.	Up to ₹ 2,00,000 or 25% of fee, whichever is higher, subject to a minimum ₹ 1,00,000.
6.	Outsources his duties and obligations.	Up to ₹ 2,00,000 or 25% of fee, whichever is higher, subject to a minimum ₹ 1,00,000.
7.	Fails to appoint registered valuers, wherever required, under the Code or Regulations made thereunder, for conducting valuation.	Up to ₹ 2,00,000 or 25% of fee, whichever is higher, subject to a minimum ₹ 1,00,000.
8.	Fails to supply the information called for or to comply with the requirements of information sought by the Agency, Board, Adjudicating Authority or the Appellate Authority or does not cooperate with the inspection or investigating authority.	Up to ₹ 1,00,000 or 25% of fee, whichever is higher, subject to a minimum ₹ 50,000.
9.	Fails to make public announcement in the manner provided for in the relevant Regulations.	Up to ₹ 2,00,000 or 25% of fee, whichever is higher, subject to a minimum ₹ 1,00,000.
10.	Fails to provide notice regarding meetings of creditors.	Up to ₹ 1,00,000 or 25% of fee, whichever is higher, subject to a minimum ₹ 50,000.
11.	Fails to reject resolution plan from ineligible resolution applicants.	Up to ₹ 2,00,000 or 25% of fee, whichever is higher, subject to a minimum ₹ 1,00,000.
12.	Fails to take action in respect of preferential, undervalued, fraudulent or extortionate credit transactions.	Up to ₹ 2,00,000 or 25% of fee, whichever is higher, subject to a minimum ₹ 1,00,000.
13.	Enters into contract or agreement with professionals in an incomplete and improper manner.	Up to ₹ 1,00,000 or 25% of fee, whichever is higher, subject to a minimum ₹ 50,000.
14.	Contravenes any provision of the bye-laws, or regulations for which no specific penalty has been provided.	Up to ₹ 1,00,000 or 25% of fee, whichever is higher, subject to a minimum ₹ 50,000.

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./361/2022-23]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG001 dated 21st November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 421 on 22nd November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2022 published vide notification No. IBBI/2022-23/GN/REG100 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 483 on dated 3rd October, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.11.01 12:07:21 +05'30'